छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 870/2007</u>

श्री राकेश कुमार गुप्ता,
ए–18, बाबजी नगर, तिफरा,
बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग)
सोनाखान भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 07 मार्च 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राकेश कुमार गुप्ता के द्वारा जन सूचना अधिकारी, ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग), रायपुर के समक्ष दिनांक 28–06–2007 को जानकारी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उन्हें डाक से जानकारी दिनांक 01–09–2007 को विलम्ब से प्राप्त हुई और वह भी अपूर्ण, भ्रामक प्राप्त हुई थी। इसके पूर्व उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 14–07–2007 को प्रस्तुत की गई। किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 21–09–2007 को प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय–पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों का श्रवण किया गया। जन सूचना अधिकारी, ग्रामोद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर को विलम्ब के लिये प्रकरण में 10,000/–रुपये शास्ति का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 13–02–2008 को प्रस्तुत किया गया। मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी अपीलार्थी ने अनेक आवेदन उनके समक्ष जानकारी के लिये दिये गये थे। उनके उत्तर उन्हें निर्धारित समयावधि में दिया गया था और उन्होंने बताया कि दिनांक 02–09–2006 को तथा 15–06–2007 को भी उनके द्वारा जानकारी दी गई थी और वर्तमान प्रकरण में पदोन्नति संबंधी नस्ती उच्च स्तर पर होने के कारण समयावधि में जानकारी नहीं दी जा सकी। दिनांक 26–12–2007 को आयोग के आदेशानुसार नोटशीट आदि की जानकारी भी दे दी गई है। अतः उन्होंने कोई जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है। उक्त कारण बताओ सूचना–पत्र का उत्तर संतोषप्रद प्रतीत होता है। अतः दुर्भावना न होने के कारण यह कारण बताओ सूचना–पत्र निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी को धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत 300/–रुपये (तीन सौ रुपये मात्र) क्षतिपूर्ति प्रदान करने के निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं, जिन्हें अपीलार्थी अपर्याप्त बता रहे हैं। किन्तु आयोग की दृष्टि में वह राशि पर्याप्त है, अतः उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अपीलार्थी ने

निर्धारित समयावधि के पूर्व ही प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी थी, जो उचित नहीं था। उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही का अनुरोध किया है। इस संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी से स्पष्टीकरण चाहा गया था, जिसके उत्तर में यह बताया गया है कि उन्होंने दिनांक 01—10—2007 की तिथि निर्धारित कर सूचना दी थी और दिनांक 05—10—2007 तक प्रशिक्षण में रहना बताया था। अतः दिनांक 08—10—2007 निर्धारित की गई थी। पूरे प्रकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल पदोन्नति नहीं होने के कारण अपीलार्थी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग कर रहा है, जो उचित प्रतीत नहीं होती है। इसका कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं है। चूँकि वाँछित जानकारी दी जा चुकी है। अतः प्रकरण में कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नहीं होती।

3/ अतः उक्त आधार पर यह अपील प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त